राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302015)
टेलीफैक्स.0141–2222403, ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/23384-603 दिनांक : 02/11/2021

उप निदेशक (क्षेत्रीय)
स्थानीय निकाय विभाग
समस्त राजस्थान।

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद्/पालिका
समस्त राजस्थान।

विषयः– प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा एवं उच्च अधिकारियों के दौरे के समय निम्न बिन्दु सामने आये हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित की जानी है :–

- समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि प्राप्त आवेदनों का कई जगह समय पर निस्तारण नहीं किया जा रहा है। अभियान को गति प्रदान करने के लिए स्वयं के स्तर से समीक्षा करते हुए जिन कॉलोनियों में ले–आउट प्लान पास हो चुका है और पट्टा लेना शेष है, उनकी सूची बनवाते हुए भूखण्डधारियों को प्रोत्साहित करके ज्यादा से ज्यादा आवेदन प्राप्त करें और उन प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध तरीके से कैम्प के दिन ही प्रकरण का निस्तारण किया जाकर पट्टा एवं कैम्प में की गई स्वीकृतियां जन प्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित किया जाना सुनिश्चित करें।
- पट्टे के अलावा अन्य कार्य जैसे नाम हस्तान्तरण, खांचा भूमि आवंटन, कच्ची बस्ती के आवंटन, भू–खण्डों का विभाजन/पुनर्गठन, भवन निर्माण स्वीकृति, धारा 69–ए आदि कार्यों का भी निस्तारण भी कम हो रहा है। अतः आप स्वयं के स्तर पर समीक्षा कर तुरन्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- वार्ड वाईज कैम्प कम से कम तीन दिवस के लिए लगाया जावे तथा निकाय में दैनिक रूप से प्राप्त आवेदनों एवं पूर्व में लम्बित प्रकरणों को संबंधित स्टाफ को एक साथ बिठाकर, चर्चा कर समीक्षा कर निस्तारण किया जावे ताकि जनता के अधिकाधिक कार्य किया जाना सुनिश्चित हो।
- शिविर कॉलोनीवार/वार्डवार मौके पर ही लगाए जावें, जिससे जनता के बीच मौहल्ला/कॉलोनी/वार्ड वासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आगामी शिविरों का कलेण्डर जारी कर निदेशालय को अवगत कराया जावे।
- प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों से कार्मिकों को अनवरत रूप से प्रशिक्षित किया जावे। साथ ही विभागीय परिपत्रों आदि से भी अद्यतन किया जावे। संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक ऐसी नगर निकाय जहां कार्य बेहतर किया जा रहा है, वहां के स्टाफ एवं अधिकारियों से अन्य क्षेत्रों के अधिकारियों/स्टाफ को जिलावार प्रशिक्षण दिया जावे।

- यह उल्लेखनीय है कि हाल ही में राज्य सरकार ने आदेश कमांक प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 29.10.2021 द्वारा कृषि भूमि पर बसी वे कॉलोनियां जिनका ले–आउट प्लान दिनांक 31. 03.2019 से पूर्व अनुमोदित हो चुका है, के नियमन के संबंध में विशेष छूट दी गई। जिसके अनुसार 300 वर्गमीटर तक के भूखण्डधारियों को पट्टों के लिये नियमन राशि में 75 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। इस छूट का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले एवं पात्र लोगों को पट्टे जारी किये जावे, यह अभियान में सुनिश्चित किया जाना है।
- हाल ही में नगरपालिका अधिनियम की धारा 69–ए के तहत आवासीय/मिश्रित पट्टों पर देय राशि में विभागीय आदेश क्रमांक 22969 दिनांक 29.10.2021 द्वारा कमी की गई है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ सुनिश्चित किया जावे। इसके लिए पट्टा दिये जाने के संबंध में वार्ड पार्षद, एनयूएलएम समूह, सफाई कार्मिक एवं लोगों का पूर्ण सहयोग लिया जावे तथा अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी किया जावे। अतः आवेदन प्राप्त होते ही सात दिवस सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन कर पट्टे की कार्यवाही करें।
- नगरपालिका अधिनियम की धारा 69–ए के पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों का निकाय स्तर पर सर्वे संभवतः करा लिया गया होगा। यदि सर्वे से लोग वंचित रह गये हैं तो वार्ड वाईज वोटर लिस्ट लेकर सर्वे किया जावे ताकि सर्वे का कार्य सही रूप से पूर्ण किया जावे। नगरपालिका अधिनियम की धारा 69–ए का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिल सके एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जावे कि इस धारा के तहत जारी पट्टों पर लोन भी मिलेगा एवं जमीन का विधिक दस्तावेज होगा।
- आपके निकाय में कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पदों हेतु हाल ही में पे–माईनस पेंशन पर कार्मिक नियुक्त किये जाने हेतु निदेशालय द्वारा आवश्यक स्वीकृति उपरान्त आदेश जारी किया गया है। अतः आवश्यकता अनुसार योग्य एवं अनुभवी कार्मिक जैसे कनिष्ठ अभियन्ता एवं कनिष्ठ लेखाकार का चयन जिले में स्थित नगरीय निकाय जो कि नोडल एजेन्सी है, के माध्यम से किया जावे। साथ ही पूर्व में चयनित प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा भी अन्य योग्य कार्मिक कैम्प अवधि में निर्धारित दर अनुसार ले सकते हैं। इस हेतु पूर्व में दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
- अभियान के अन्तर्गत इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन योजना, पालनहार योजना इत्यादि भी महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। अतः उक्त योजनाओं के विभागवार होर्डिंग्स/बैनर लगाये जावें एवं IEC गतिविधियां सम्पादित कराकर व्यापक जन प्रचार–प्रसार किया जायें, ताकि इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक लाभार्थी को मिल सके। कैम्प में ई–मित्र की भी सुविधा प्रदान की जावे ताकि आवेदक को शीघ्रातिशीघ्र लाभ प्राप्त हो सके।
- अन्य विभागों के अधिकारियों को भी इस अभियान से जोडा जाने हेतु जिला कलक्टर को निवेदन किया जावे ताकि शिविर में पानी, बिजली, समाज कल्याण का समुचित प्रतिनिधित्व राज्य सरकार की मंशानुरूप कार्य किया जा सके।
- इन्दिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोगों को प्रोत्साहित कर ऑनलाईन आवेदन कराया जावे। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो, इस संबंध में आई.ई.सी. गतिविधियां एवं व्यापक जन प्रचार–प्रसार किया जावे।
- राज्य सरकार की मंशा अनुसार अभियान में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्ण निष्ठा एवं दक्षता के साथ कार्य करना है, अगर अभियान के दौरान किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उनके

आवंटित कार्यों में लापरवाही बरती जाती है तो विभागीय अधिसूचना क्रमांक 71744 दिनांक 26.10.2021 के अनुसार उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे तथा जो अधिकारी/कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित किया जावे।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/23604-657 दिनांक : 02/11/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
6. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त निदेशक